न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 46 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 189

1. राधेश्याम पुत्र ताराचन्द निवासी गांव 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर

बनाम

1. अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार कर वांछित सूचना अपूर्ण बताकर लौटाए जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर के पत्रांक / आरटीआई / एसपीआईओ / 2024 / 110 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थी के द्वारा धारा 7 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दू सं. 1 से 6 तक चाही गई सूचनाओं का विवरण अपूर्ण व सभी सूचनाऐं प्रश्नात्मक थी, जिसके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 एफ के अनुसार उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया और सूचना आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में थी। जिस कारण लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। चूंकि अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रश्नात्मक प्रवृति का था ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के पारित विनिश्चय में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है। अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़